

अभिनिर्णय आदेश

1. वाद संख्या : 25 /2013-14
2. ग्राम : रामदासपुर
3. परगना व तहसील : बरौसा, सदर
4. जनपद : सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)
5. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल : 0.2258 हे०
6. भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन : राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 232
(टांडा-रायबरेली सेक्शन) के 36.000
कि०मी० से 78.000 कि०मी०
चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि हेतु।
7. क्या जमींदारी विनाश क्षेत्र है : हां।
8. अध्याप्ति निकाय का नाम : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
(भारत सरकार) द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई
रायबरेली।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 : अधिसूचना संख्या-क.अ.2934(अ)
के अन्तर्गत धारा 3A की अधिसूचना
प्रकाशन का दिनांक भारत का राजपत्र असाधारण,
भाग II-खण्ड 3- उपखण्ड (ii)
नई दिल्ली, दिनांक 19.12.2012
10. धारा 3A की उपधारा (3) के : 1. दैनिक जागरण,
प्राविधानानुसार स्थानीय समाचार
पत्रों में प्रकाशन का दिनांक दिनांक 22.01.2013
2. इण्डियन एक्सप्रेस,
दिनांक 22.01.2013
11. उक्त अधिनियम की धारा 3D : अधिसूचना सं०-क.अ.2417 (अ)
की उपधारा (1) के अन्तर्गत
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि भारत का राजपत्र असाधारण,
भाग II- खण्ड 3- उपखण्ड (ii)
नई दिल्ली, दिनांक 07.08.2013
12. उक्त अधिनियम की धारा 3G : 1. अमर उजाला
की उपधारा 3 के अन्तर्गत स्थानीय
समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि दिनांक 07.09.2013
2. टाइम्स ऑफ इण्डिया
दिनांक 07.09.2013
13. अभिनिर्णय की तिथि : दिनांक 25.11.2014

14. अभिनिर्णय की धनराशि का विवरण:—

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	5,94,650.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु०)	-----
	निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	-----
	हैण्डपम्प,कूप व नलकूप के प्रतिकर धनराशि (रु०)	-----
	योग (रु०)	5,94,650.00
	10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि (रु०)	59,465.00
	सम्पूर्ण योग (रु०)	6,54,115.00

15. अध्याप्ति व्यय की धनराशि (10 प्रतिशत) : रु० 65,411.00

16. पूंजीकृत मूल्य की धनराशि (मालगुजारी का 40 गुना) : रु० 7.21 × 40 = 288.40 या 288 रु० (रुपया दो सौ अठ्ठासी मात्र)

अभिनिर्णय का औचित्य

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के 36.000 कि०मी० से 78.000 कि०मी० (टांडा-रायबरेली सेक्शन) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद-सुलतानपुर के ग्राम- रामदासपुर, परगना बरौंसा व तहसील सदर में भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया। इस प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा 3A के अन्तर्गत भारत सरकार का असाधारण राजपत्र, नई दिल्ली में गजट अधिसूचना दिनांक 19.12.2012 तथा दो समाचार पत्रों 'दैनिक जागरण' एवं 'इण्डियन एक्सप्रेस' में दिनांक 22 जनवरी 2013 को प्रकाशित कराया गया। इस भू-अर्जन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ग्राम- रामदासपुर के भू-स्वामियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3C के अन्तर्गत आठ आपत्तियाँ प्राप्त हुईं जिनका निस्तारण किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस कार्यालय के पत्रांक 91/आठ-उप०भू०अ०० दिनांक 28/05/2013 द्वारा भेजा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत इस ग्राम में 0.2258 हे० भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भारत का राजपत्र असाधारण में दिनांक 07.08.2013 को प्रकाशित किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G के अन्तर्गत प्रतिकर से सम्बन्धित दावों को प्रस्तुत करने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों 'अमर उजाला', एवं 'टाइम्स ऑफ इण्डिया', में दिनांक 07.09.2013 को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायी गयी। उक्त अधिनियम की धारा 3G के अन्तर्गत भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई दावा/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम- रामदासपुर, परगना बरौसा व तहसील सदर, जनपद- सुलतानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के (36.000 कि०मी० से 78.000 कि०मी० तक) (टांडा-रायबरेली सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजनार्थ अधिग्रहीत भूमि 0.2258 हे० में से 0.1728 हे० निजी कृषिक भूमि व 0.530 हे० गांवसभा की भूमि है। निजी कृषिक भूमि में से गाटा संख्या-293 रक्बा 0.0012 हे० व गाटा संख्या-300 रक्बा 0.0017 हे० कुल रक्बा 0.0029 हे० भूमि प्रस्तावित योजना से दूर अवस्थित है। तत्कारण इस भूमि का अवार्ड किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, केवल 0.1699 हे० भूमि ही अवार्ड घोषित किये जाने योग्य है। निजी कृषिक भूमि का ही प्रतिकर निर्धारण किया जायेगा, गांवसभा की भूमि संख्या-278 (नवीन परती) रक्बा 0.0197 हे० परियोजना से दूर है, शेष 0.0333 हे० ग्राम सभा भूमि का पुर्नग्रहण अर्जन निकाय कलेक्टर सुलतानपुर द्वारा करायेंगे। ग्राम सभा एवं प्रस्तावित योजना से दूर अवस्थित निजी भूमि का अवार्ड नहीं किया जाता है। अर्जित की जाने वाली भूमि कृषिक है जिसपर खेती की जा रही है। अधिग्रहीत की जा रही भूमि पर जो भी सम्पत्तियों सर्वे के बाद प्राप्त करायी गई हैं, से सम्बन्धित विवरण परियोजना निदेशक द्वारा उपलब्ध कराया गया है जो संलग्न पत्रावली है। जिसके अनुसार ग्राम की गाटा संख्या-268 व 277 पर निर्माण का होना अंकित किया गया है। परन्तु ये दानों गाटे ग्राम सभा की भूमि हैं, जिनका एवार्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस ग्राम में सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वृक्ष प्रभावित नहीं हैं।

अर्जित भूमि की वर्तमान बाजार दर ज्ञात करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा, 3(A) के प्राविधानों के अन्तर्गत धारा 3(A) की अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 22/01/2013 से 3 वर्ष पूर्व के अवधि में निष्पादित विक्रय पत्रों को उपनिबंधक सदर के कार्यालय से श्री सत्य नारायण दुबे, भू० अ० अमीन एवं श्री श्री शिव बहादुर मौर्या अमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इकाई रायबरेली द्वारा संकलित कराया गया, इस निर्धारित अवधि में कुल नौ विक्रय पत्रों को अनुसूची-2 में सूचीबद्ध किया गया है।

अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण बाजार मूल्य पर किया जाना है, अतएव विज्ञप्ति के तीन वर्ष के पूर्व के विक्रय पत्रों के निष्पादन के आधार पर बाजार मूल्य नियत किया जाना विधिसंगत है। अन्तिम प्रकाशन के तीन वर्ष पूर्व के बैनामों की जाँच उपभूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय सुलतानपुर के अमीन श्री सत्यनारायण द्विवेदी द्वारा उपनिबंधक कार्यालय तहसील सदर में की गयी है। तैयार अनुसूची-2 में उल्लिखित नौ विक्रय पत्रों का अंकन देखा गया जो पत्रावली में संलग्न है।

इनमें से क्रमांक 5 पर अंकित विक्रय विलेख की मूल्यांकन दर रु0-14,28,571.00 व क्रमांक 7 पर अंकित विक्रय विलेख दिनांकित: 19-10-2011 विक्रेता श्री मु0 शफीक पुत्र निजामुद्दीन बहक मु0 नईम व इबरार व गुलजार पुत्रगण आलम रूपया 31,74,603.00 है। इस प्रकार सर्वाधिक बाजारु दर का बैनामा क्रमांक 7 पर यथा अंकित ही पाया जाता है। तत्समय कलेक्टर की मूल्यांकन सूची के अनुसार इस ग्राम में सड़क के किनारे की भूमि की बिक्री दर रूपया 3,500.00 प्रति 0.001 हे0 है, अर्थात् रूपये 35,00,000.00 प्रति हे0 मूल्यांकन दर है। जो अंकित सभी बैनामों से अधिक है। अतः कृषकों के व्यापक हित को देखते हुए कलेक्टर के मूल्यांकन दर के आधार पर ही जैसा कि कार्यालय जिलाधिकारी सुलतानपुर के पत्र संख्या- 1149/स्टाम्प लिपिक-2013 दिनांक: 31-07-2013 के प्ररूप-4 में अंकित ग्राम रामदासपुर के रेट पैतिस लाख रूपये प्रति हे0 की दर से अर्जित की जाने वाली भूमि 0.1699 हे0 का प्रतिकर निर्धारित किया जाता है।

निर्धारित दर के आधार पर अर्जित कृषिक भूमि 0.1699 हे0 की प्रगणना निम्नवत् है:-

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु0)	5,94,650.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु0)	-----
	निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु0)	-----
	हैण्डपम्प कूप व नलकूप के प्रतिकर धनराशि (रु0)	-----
	योग (रु0)	5,94,650.00
	10 प्रतिशत अतरिक्त धनराशि (रु0)	59,465.00
	सम्पूर्ण योग (रु0)	6,54,115.00

अतएव उपरोक्त निर्धारित दर के आधार पर 0.1699 हे0 अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रु0 5,94,650.00 होती है। इस निर्धारित धनराशि पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G (2) के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से अतरिक्त धनराशि रु0 59,465.00 रूपये देय होगी। इस प्रकार कुल अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रु0 **6,54,115.00 रूपये** (मु0 छः लाख चौब्वन हजार एक सौ पन्द्रह रूपये मात्र) निर्धारित किया जाता है।

अध्याप्ति व्यय- कुल अभिनिर्णीत धनराशि रु0 **6,54,115.00** पर 10 प्रतिशत की दर से अध्याप्ति व्यय रु0 **65,411.00 रूपये** अर्जन निकाय से वसूल कर राज्य के निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भू राजस्व-800 अन्य प्राप्तियों 007-भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्यवाहियों की वसूली 0704 अन्य संस्थाएं" में जमा किया जायेगा।

पूंजीकृत मूल्य- अर्जित भूमि के भू-राजस्व रु0 7.21 का 40 गुना रु0 288.40 या 288 रूपये अध्याप्ति निकाय से वसूल करके राज्य सरकार के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

अतः मैं सक्षम प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी सुलतानपुर 0.1699 हे० भूमि की रूपये 7.21 की कमी माल गुजारी की स्वीकृति प्रदान करते हुए अभिनिर्णय रु० **6,54,115.00 रूपये** (मु० छः लाख चौब्वन हजार एक सौ पन्द्रह रूपये मात्र) घोषित करता हूँ। अभिनिर्णीत धनराशि खातावार, गाटावार भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों के नाम पर भूमि अर्जन प्रपत्र-11 में अंकित की जाए। आज दिनांक 25.11.2014 को अभिनिर्णय घोषित कर पत्रावली में सम्मिलित किया गया है।

(वी० के० दोहरे)

सक्षम प्राधिकारी/
मुख्य राजस्व अधिकारी
जनपद—सुलतानपुर

